

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, (छ0ग0)

// आदेश //

क्रमांक 36/दो-12-31/2017

बलौदाबाजार, दिनांक 24.02.2020

श्रीमती उषा गेंदले, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार को उनके आवेदन पत्र में वर्णित कारणों से, रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 9874/दो-15-3/2018/डी.ई., दिनांक 12.09.2019, छ.ग. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के "38-ग" एवं छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 492/एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार, दिनांक 04.10.2018 की कंडिका 9 के आलोक में, उनके आवेदन पत्र के आधार पर, प्रथम भाग दिनांक 23.02.2020 से 01.03.2020 तक कुल 08 दिन तथा द्वितीय भाग 14.03.2020 से 22.03.2020 तक कुल 09 दिन "दो भाग में कुल 17 दिन तक" संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

उक्त अवकाश अवधि में उनका पद रिक्त रहेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेंदले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं रहते तो तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार के पद पर कार्यरत रहते।

उक्त अवकाश अवधि को मूलभूत नियम 26 (बी) (2) के अंतर्गत प्रमाणित किया जाता है।

संतान अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी दर से देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता।

अब इनके अवकाश लेखें में कुल 713 दिनों का संतान पालन अवकाश शेष रहेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

*sd/-*  
(रजनीश श्रीवास्तव)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बलौदाबाजार, (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 24.02.2020

पृष्ठांकन क्रमांक 271/दो-12-31/2017

प्रतिलिपि :-

✓ रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छ.ग., बिलासपुर की ओर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के परिपत्र क्रमांक ए/1680/ चार-8-42/77, जबलपुर दिनांक 12.02.1990 के आलोक में सूचनार्थ।

- प्रथम/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार।
- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भाटापारा।
- लेखापाल/ऑफिस मोहररि, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*2*  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बलौदाबाजार (छ.ग.)